न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 02/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मालीराम पुत्र सुरजाराम।
2 मोहरीलाल पुत्र जगदीश समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र नाथुराम।
2 श्रीमती सजना देवी पत्नी बनवारी लाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 रामोतार पुत्र रूड़ाराम (मृत)।
3/1 विमला पत्नी रामोतार।
3/2 मनीषा कुमारी पुत्री रामोतार।
3/3 सुमेर पुत्र रामोतार उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षित माता विमला पुत्री रामोतार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 राजेन्द्र पुत्र नारायण।
5 सुवालाल पुत्र धूडाराम।
6 फूलचन्द पुत्र धूडाराम।
7 नरसाराम पुत्र धूडाराम।
8 श्रीमती धापली पत्नी धूडाराम।
9 श्रीमती केशर पुत्री धूडाराम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

10 श्रीमती छोटी पुत्र धूडाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर

11 पोखर दत्तक पुत्र नानूराम।

12 धूड़ाराम पुत्र लादूराम।

13 सुगनाराम पुत्र लादूराम।

14 अमरसिंह पुत्र भगवाना पौत्र।

15 शीशराम पुत्र भगवाना पौत्र।

16 सुरजमल पुत्र बोदूराम।

17 जगदीश पुत्र बोदूराम।

18 मालीराम पुत्र धन्नाराम।

19 रिछपाल पुत्र धन्नाराम।

20 बीरबल (मृत)।

20/1 माली देवी पत्नी बीरबल।

20/2 शारदा पुत्र बीरबल।

20/3 भंवर पुत्र बीरबल।

20/4 कमलेश पुत्र बीरबल।

21 हरिसिंह (मृत)।

21/1 प्रभाती देवी पत्नी हरिसिंह।

21/2 शंकरलाल पुत्र हरिसिंह।

21/3 सीताराम पुत्र हरिसिंह।

21/4 पिंकी कुमारी पुत्री हरिसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रभाती।

22 परसाराम पुत्र जगन्नाथ सिंह।

23 बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ सिंह।

24 छोटी पत्नी जगन्नाथ सिंह (मृत)।

24/1 प्रभाती देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी सालगरामजी भिण्डा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

24/2 संज्या देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद भिण्डा समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 महरोली ढ़ाणी भिण्डावाली वाया रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

24/3 सजना देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी रामदेव बोरख।

24/4 फूली देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी रामनिवास बोरख समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 गुहाला (चला) ढ़ाणी नवोड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

25 भगवान सिंह पुत्र हणमान।

26 गुल्लाराम पुत्र हणमान।

27 धोकलसिंह पुत्र हणमान।

28 जयप्रकाश उर्फ भूदाराम पुत्र मोती।

29 मालीराम पुत्र हणमान।

30 बनवारी पुत्र नारायण।

31 गीगराज पुत्र नारायण।

32 रणजीत पुत्र नारायण।

33 संतोषी पत्नी श्योलाराम।

34 रिनू पुत्री श्योलाराम।

35 राजू पुत्री श्योलाराम।

36 रमेश उम्र 7 साल पुत्र श्योलाराम नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोषी।

37 मोहरली पत्नी नारायण।

38 फूलचन्द पुत्र छोटूराम (मूल आवेदन में दो बार पक्षकार बनाया गया है, इसलिए अपील मेमों में रेस्पोडेंट संख्या 39 व 67 के रूप में पक्षकार है)

39 रामावतार पुत्र रूड़ाराम मृत (मूल आवेदन में दो जगह पक्षकार बनाया गया है, इनके वारिसान को अपील में अपीलांट संख्या 01 से 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

40 मोहरीलाल पुत्र जगदीश।

41 मालीराम पुत्र सुरजा (रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 41 व 42 एक ही व्यक्ति है मूल आवेदन में दो जगह पक्षकार बनाये जाने के कारण अपील में फोरमल पक्षकार बनाया गया है)

42 शंकर पुत्र साधुराम।

43 शिवपाल पुत्र साधुराम।

44 राजेन्द्र पुत्र नारायण।

45 हरफुल पुत्र रूघाराम।

46 राकेश पुत्र रूघाराम।

47 केसी पत्नी रूघाराम।

48 सून्डी देवी पुत्री रूघाराम।

49 रामलाल पुत्र भगवाना।

50 सागरमल पुत्र भगवाना।

51 हरिद्वार पुत्र गोपाला।

52 राजेन्द्र प्रसाद गोपाल।

53 गिरधारी पुत्र रूघनाथ।

54 फूलाराम पुत्र रूघनाथ।

55 पदमाराम पुत्र रूघनाथ।

56 मुकेश पुत्र मुरली पौत्र रूघनाथ।

57 मनभरी पत्नी मुरली।

58 ममता पुत्री मुरली।

59 सोहनी पुत्री मुरली।

60 कमली पुत्री रूघनाथ।

61 सुशी देवी पुत्री रूघनाथ।

62 रामनाथ पुत्र घीसा।

63 मदनलाल दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

64 गुलाब (मृत)।
64/1 गोकुल पति गुलाब।
64/2 सुरेश पुत्र गुलाब उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक पिता गोकुल।
64/3 बबली पुत्री गुलाब समस्त जाति जाट निवासीगण गोपालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
65 सावित्री पुत्री लक्ष्मणसिंह।
66 फूलचन्द पुत्र छोटूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला पीठासीन अधिकारी श्री सत्यपाल आर0ए0एस0 प्रार्थना पत्र बउनवानी बनवारीलाल आदि बनाम मालीराम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट नम्बर 06/2013 दिनांक 21.02.2014

अपील संख्या 21/2017

1 विमला पत्नी रामोतार।
2 मनीषा कुमारी पुत्री रामोतार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

3 सुमेर पुत्र रामोतार उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षिका माता विमला पुत्री रामोतार समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र नाथुराम।
2 श्रीमती सजना देवी पत्नी बनवारी लाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 मालीराम पुत्र सुरजाराम।
4 मोहरीलाल पुत्र जगदीश।
5 राजेन्द्र पुत्र नारायण।
6 सुवालाल पुत्र धूडाराम।
7 फूलचन्द पुत्र धूडाराम।
8 नरसाराम पुत्र धूडाराम।
9 श्रीमती धापली पत्नी धूडाराम।
10 श्रीमती केशर पुत्री धूडाराम।
11 श्रीमती छोटी पुत्र धूडाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
12 पोखर दत्तक पुत्र नानूराम।
13 धूड़ाराम पुत्र लादूराम।
14 सुगनाराम पुत्र लादूराम।
15 अमरसिंह पुत्र भगवाना पौत्र।
16 शीशराम पुत्र भगवाना पौत्र।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

17 सुरजमल पुत्र बोदूराम।
18 जगदीश पुत्र बोदूराम।
19 मालीराम पुत्र धन्नाराम।
20 रिछपाल पुत्र धन्नाराम।
21 बीरबल (मृत)।
21/1 माली देवी पत्नी बीरबल।
21/2 शारदा पुत्र बीरबल।
21/3 भंवर पुत्र बीरबल।
21/4 कमलेश पुत्र बीरबल।
22 हरिसिंह (मृत)।
22/1 प्रभाती देवी पत्नी हरिसिंह।
22/2 शंकरलाल पुत्र हरिसिंह।
22/3 सीताराम पुत्र हरिसिंह।
22/4 पिंकी कुमारी पुत्री हरिसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रभाती।
23 परसाराम पुत्र जगन्नाथ सिंह।
24 बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ सिंह।
25 छोटी पत्नी जगन्नाथ सिंह (मृत)।
25/1 प्रभाती देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी सालगरामजी भिण्डा।
25/2 संज्या देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद भिण्डा समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 महरोली ढ़ाणी भिण्डावाली वाया रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25/3 सजना देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी रामदेव बोरख।
25/4 फूली देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी रामनिवास बोरख समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 गुहाला (चला) ढ़ाणी नवोड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
26 भगवान सिंह पुत्र हणमान।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

27 गुल्लाराम पुत्र हणमान।
28 धोकलसिंह पुत्र हणमान।
29 जयप्रकाश उर्फ भूदाराम पुत्र मोती।
30 मालीराम पुत्र हणमान।
31 बनवारी पुत्र नारायण।
32 गीगराज पुत्र नारायण।
33 रणजीत पुत्र नारायण।
34 संतोषी पत्नी श्योलाराम।
35 रिनू पुत्री श्योलाराम।
36 राजू पुत्री श्योलाराम।
37 रमेश उम्र 7 साल पुत्र श्योलाराम नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोषी।
38 मोहरली पत्नी नारायण।
39 फूलचन्द पुत्र छोटूराम (मूल आवेदन में दो बार पक्षकार बनाया गया है, इसलिए अपील मेमों में रेस्पोडेंट संख्या 39 व 67 के रूप में पक्षकार है)
40 रामावतार पुत्र रूड़ाराम मृत (मूल आवेदन में दो जगह पक्षकार बनाया गया है, इनके वारिसान को अपील में अपीलांट संख्या 01 से 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है)
41 मोहरीलाल पुत्र जगदीश।
44 मालीराम पुत्र सुरजा (रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 41 व 42 एक ही व्यक्ति है मूल आवेदन में दो जगह पक्षकार बनाये जाने के कारण अपील में फोरमल पक्षकार बनाया गया है)
43 शंकर पुत्र साधुराम।
44 शिवपाल पुत्र साधुराम।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

45 राजेन्द्र पुत्र नारायण (मूल आवेदन में दो जगह पक्षकार बनाया गया है इसलिए अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5व 45 के रूप में पक्षकार बनाये गये है)

46 हरफुल पुत्र रूघाराम।

47 राकेश पुत्र रूघाराम।

48 केसी पत्नी रूघाराम।

49 सून्डी देवी पुत्री रूघाराम।

50 रामलाल पुत्र भगवाना।

51 सागरमल पुत्र भगवाना।

52 हरिद्वार पुत्र गोपाला।

53 राजेन्द्र प्रसाद गोपाल।

54 गिरधारी पुत्र रूघनाथ।

55 फूलाराम पुत्र रूघनाथ।

56 पदमाराम पुत्र रूघनाथ।

57 मुकेश पुत्र मुरली पौत्र रूघनाथ।

58 मनभरी पत्नी मुरली।

59 ममता पुत्री मुरली।

60 सोहनी पुत्री मुरली।

61 कमली पुत्री रूघनाथ।

62 सुशी देवी पुत्री रूघनाथ।

63 रामनाथ पुत्र घीसा।

64 मदनलाल दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह।

65 गुलाब (मृत)।

65/1 गोकुल पति गुलाब।

65/2 सुरेश पुत्र गुलाब उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक पिता गोकुल।

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

65/3 बबली पुत्री गुलाब समस्त जाति जाट निवासीगण गोपालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
66 सावित्री पुत्री लक्ष्मणसिंह।
67 फूलचन्द पुत्र छोटूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला पीठासीन अधिकारी श्री सत्यपाल आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र बउनवानी बनवारीलाल आदि बनाम मालीराम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट नम्बर 06/2013 दिनांक 21.02.2014

अपील संख्या 71/2017

1 मोहरीलाल पुत्र जगदीश।
2 मालीराम पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र नाथुराम।
2 श्रीमती सजना देवी पत्नी बनवारी लाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

3 विमला पत्नी रामोतार।
4 मनीषा कुमारी पुत्री रामोतार।
5 सुमेर पुत्र रामोतार उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षिका माता विमला पुत्री रामोतार।
6 राजेन्द्र पुत्र नारायण।
7 सुवालाल पुत्र धूडाराम।
8 फूलचन्द पुत्र धूडाराम।
9 नरसाराम पुत्र धूडाराम।
10 श्रीमती धापली पत्नी धूडाराम।
11 श्रीमती केशर पुत्री धूडाराम।
12 श्रीमती छोटी पुत्र धूडाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
13 पोखर दत्तक पुत्र नानूराम।
14 धूड़ाराम पुत्र लादूराम।
15 सुगनाराम पुत्र लादूराम।
16 अमरसिंह पुत्र भगवाना पौत्र।
17 शीशराम पुत्र भगवाना पौत्र।
18 सुरजमल पुत्र बोदूराम।
19 जगदीश पुत्र बोदूराम।
20 मालीराम पुत्र धन्नाराम।
21 रिछपाल पुत्र धन्नाराम।
22 माली देवी पत्नी बीरबल।
23 शारदा पुत्र बीरबल।
24 भंवर पुत्र बीरबल।
25 कमलेश पुत्र बीरबल।
26 हरिसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह।
26/1 प्रभाती देवी पत्नी हरिसिंह।

26/2 शंकरलाल पुत्र हरिसिंह।

26/3 सीताराम पुत्र हरिसिंह।

26/4 पिंकी कुमारी पुत्री हरिसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रभाती।

27 परसाराम पुत्र जगन्नाथ सिंह।

28 बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ सिंह।

29 छोटी पत्नी जगन्नाथ सिंह (मृत)।

29/1 प्रभाती देवी उम्र 58 वर्ष पत्नी सालगरामजी भिण्डा।

22/2 संज्या देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद भिण्डा समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 महरोली ढ़ाणी भिण्डावाली वाया रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

29/3 सजना देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी रामदेव बोरख।

29/4 फूली देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी रामनिवास बोरख समस्त जाति जाट निवासीगण मु0 पो0 गुहाला (चला) ढ़ाणी नवोड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

30 भगवान सिंह पुत्र हणमान।

31 गुल्लाराम पुत्र हणमान।

32 धोकलसिंह पुत्र हणमान।

33 जयप्रकाश उर्फ भूदाराम पुत्र मोती।

34 मालीराम पुत्र हणमान।

35 बनवारी पुत्र नारायण।

36 गीगराज पुत्र नारायण।

37 रणजीत पुत्र नारायण।

38 संतोषी पत्नी श्योलाराम।

39 रिनू पुत्री श्योलाराम।

40 राजू पुत्री श्योलाराम।

41 रमेश उम्र 7 साल पुत्र श्योलाराम नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोषी।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

42 मोहरली पत्नी नारायण।
43 फूलचन्द पुत्र छोटूराम।
44 शंकर पुत्र साधुराम।
45 शिवपाल पुत्र साधुराम।
46 हरफुल पुत्र रूघाराम।
47 राकेश पुत्र रूघाराम।
48 केसी पत्नी रूघाराम।
49 सून्डी देवी पुत्री रूघाराम।
50 रामलाल पुत्र भगवाना।
51 सागरमल पुत्र भगवाना।
52 हरिद्वार पुत्र गोपाला।
53 राजेन्द्र प्रसाद गोपाल।
54 गिरधारी पुत्र रूघनाथ।
55 फूलाराम पुत्र रूघनाथ।
56 पदमाराम पुत्र रूघनाथ।
57 मुकेश पुत्र मुरली पौत्र रूघनाथ।
58 मनभरी पत्नी मुरली।
59 ममता पुत्री मुरली।
60 सोहनी पुत्री मुरली।
61 कमली पुत्री रूघनाथ।
62 सुशी देवी पुत्री रूघनाथ।
63 रामनाथ पुत्र घीसा।
64 मदनलाल दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह।
65 गोकुल पति गुलाब।
66 सुरेश पुत्र गुलाब उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक पिता गोकुल।
67 बबली पुत्री गुलाब ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

68 सुशीला पुत्री लक्ष्मणसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जोधावाली तन जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला दिनांक 04.01.2017 प्रकरण संख्या 29/14

उपस्थित

1. श्री सांवरमल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री गणपत लाल अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री विनोद कुमार सरोज अधिवक्ता रेस्पोडेंट
5. श्री सुखदेव सिंह महला अधिवक्ता रेस्पोडेंट
6. श्री मनोज भार्गव अधिवक्ता रेस्पोडेंट
7. श्री मुकेश बाजिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15-1-19

यह तीनों अपीलें विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6/2013 (12/2013), एवं प्रार्थना पत्र संख्या

29/2014 में पारित कमशः निर्णय दिनांक 21.02.2014 एवं 04.01.2017 के विरूद्व प्रथक–प्रथक प्रस्तुत हुई है तीनों के पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से तीनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलीयों में प्रथक–प्रथक रखी जायें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी बनवारीलाल श्रीमती सजना देवी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 339 व 340 ग्राम रलावता के खातेदार काश्तकार है व भूमि खसरा नम्बर 279 से 338 एवं 343 से 347 तन ग्राम जयपुरा में भी सहखातेदार काश्तकार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए 9 फिट रास्ता खसरा नम्बर 332 से 335 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे व 318,317,310,309,307 व 303 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 303 से सटाकर मौजुद प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 340 तक राजस्व रिकार्ड में नक्शे में काटकर गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जावें। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थीगण को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता देने के आदेश जारी किये गये है। इस निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मालीराम व मोहरीलाल की और से अपील संख्या 2/2017 प्रस्तुत की गई है। इसी निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 3 रामोतार के विधिक प्रतिनिधि बिमला मनीषा एवं सुमेर की और से अपील संख्या 21/2017 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2014 के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मालीराम व मोहरीलाल की और से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 29/2014 प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2017 से खारिज किया गया है। इसके विरूद्व अपील संख्या 71/2017 प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल नही करवाई गई विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे भी विधि विरूद्व रूप से खारिज कर दिया गया आवेदकगण जो रास्ता चाह रहे है उस भूमि में स्वंय सहकाश्तकार है विधि अनुसार एक सहकाश्तकार दुसरे सहकाश्तकार के विरूद्व 251ए का आवेदन नही ला सकता है। धारा 251ए के आवेदन में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होता है जिसे विचारण न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय में इस बिन्दु पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो गम्भीर त्रुटि है। विचारण न्यायालय के निर्णय से पूर्व अप्रार्थी संख्या 20,66 मर चुके थे ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन धारा 251ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था धारा 251ए के प्रावधानों में यह निर्धारित है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा आईएलआर स्तर का अधिकारी तैयार करेगा प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरित है ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 699, आरबीज़े (23) 2016 पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल करवाई गई है 70 पक्षकार इस रास्ते से आवागमन करते है लघुतम रास्ता यही है केवल दो तीन अनावश्यक विलम्ब करने के लिए अपील लेकर आये है मौके पर रास्ता चालु है अपीलांट का आदेश 9 नियम 13 का आवेदन विधि सम्मत खारिज किया गया है माननीय राजस्व मण्डल से निगरानी विड्रा कर ली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

गई है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2012 पेज 383 एंव आर.आर.डी. 2010 पेज 578 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर तीनों अपीले खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन 68 अप्रार्थीगण के विरूद्व 21.02.2013 को प्रस्तुत किया गया है इसके उपरान्त अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 03.02.2014 को आदेशिका में अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का बस्सी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की आकलिक राशि का प्रस्ताव मंगवाने हेतु तरहीब जारी की जाये। इस सन्दर्भ में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया यह मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का बस्सी द्वारा दिनांक 24.04.2013 को तैयार की गई है यह रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार खण्डेला को भेजी गई है तहसीलदार खण्डेला ने 29.04.2013 को यह रिपोर्ट विचारण न्यायालय को प्रेषित की है स्पष्ट है कि धारा 251ए के आवेदन पर प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है इस सन्दर्भ में हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2016 पेज 699 पर मनन किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, Section 230- SDO allowed application ii/s 251-A- Appeal rejected by RAA- Revision before Board- Held- SDO passed the order on report of patwari- Rules provide for inspection by officer not below the rank of Land Record Inspector – It is a mandatory provision- Case remanded. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत नियमों के तहत भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी की रिपोर्ट ही मान्य

Law

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि...

सीकर

है यह प्रावधान आदेशात्मक है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय पटवारी की रिपोर्ट पर पारित किया गया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (23) 2016 पेज 540 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- Section 251 and Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955= Rule 69It is mandatory that before deciding an application for right of waay, enquiry should be made as per provisions of Rule 69. यह न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों के पालना नही की गई है अत विचाराधीन निर्णय अपास्त करने योग्य पाया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों एवं वरवक्त बहस कथन किया है कि अप्रार्थी बीरबल एवं गुलाब की मृत्यु विचारण न्यायालय के निर्णय से पूर्व हो चुकी थी इस कथन का कोई खण्डन रेस्पोडेंट की और से नही किया गया है चूकि यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश शून्य होता है। ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने वर वक्त बहस कथन किया है कि वांछित रास्ता जिस भूमि में से चाह गया है उस भूमि में आवेदकगण भी सहकाश्तकार है विधि अनुसार एक सहकाश्तकार दुसरे सहकाश्तकार के विरूद्व 251ए के अन्तर्गत आवेदन नही ला सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होते है क्योंकि यह न्यायिक दृष्टांत धारा 251 के सन्दर्भ में है धारा 251ए के सन्दर्भ में नही है।

यह विधि में सुस्थापित व्यवस्था है कि पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रतीत नही होता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य पाया जाता है।

चूकिं प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस को विचारण न्यायालय में न तो सम्यक तामिल हुई है न ही अपीलांट्स विचारण न्यायालय में उपस्थित रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होना नही माना जा सकता है। अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई खण्डन, प्रति शपथ पत्र रेस्पोडेंट की और से प्रस्तुत नही किया गया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरान्त आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर अलग से विवेचन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है फलस्वरूप तीनों अपीले स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के बाद प्रति प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02. 2019 को अपनी उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

15.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर